राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 91 / 2012 जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2012 / 00047

महीपाल पुत्र किरपाल जाति जाट निवासी धरडाना खुर्द तहसील बुहाना।

1/1. श्रीमती श्रवणी देवी पत्नी स्व. महीपाल
1/2. राजेश पुत्र स्व. महीपाल जाति जाट निवासी घरडाना खुर्द
1/3. प्रेम पुत्री स्व. महीपाल पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी मोई सड़क
1/4. सरोज पुत्री स्व. महीपाल पत्नी विरपाल जाति जाट निवासी झारोडा
1/5. सुनिता पुत्री स्व. महीपाल पत्नी संजय जाति जाट निवासी झारोडा
2. विधाधर
3. रोहिताश
4. रणधीर
5. सुरजभान पुत्रान कृपाराम समस्त जाति जाट निवासीगण घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.......आवेदकगण

**ब–ना–म**

1. रामप्रताप
2. सरदारराराम
3. हरदयालसिंह पुत्रान गुगन
4. लालचन्द
5. महेन्द्र
6. सत्यवान पुत्रान सदासुख
7. रूपचन्द
8. देवकरण
9. महाबीर
10. सुरेन्द्र पुत्रान हनुमान
11. सतपाल
12. उम्मेद
13. विधाधर पुत्रान माला
14. श्रीमती चावली पत्नी माला समस्त जाति जाट निवासीगण घरडाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
15. तहसीलदार, बुहाना जिला झुन्झुनू, राज0

.......अनावेदकगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:11:54 IST
Reason: SelfAttested

**आवेदन पत्र बाबत रास्ता चाहने**

**अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थित अधिवक्ता :–**

1. श्री रामस्वरूप यादव :– प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री लक्ष्मीकान्त भारद्वाज :– अप्रार्थी सं.1 की ओर से

**:: निर्णय ::**

**दिनांक :–06–06–2022**

यह आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि– वाके ग्राम घरडाना खुर्द हाल जमाबंदी संवत् 2068–2071 अनुसार खाता सं. 180 के ख.नं. 783 रकबा 2.52 है. भूमि बाहमी बंटवारा में अपने हिस्से में आई हुई तथा कदीम से कब्जे काश्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस भूमि की काश्त ट्रेक्टर आदि से करता है परन्तु अपने खातेदारी भूमि जिसमें बाहमी बंटवारे से कब्जा है उसमें जाने के लिए केवल पगडंडी है रास्ता नहीं है। एक आम रास्ता जो ट्रेस नक्शा में भूमि ख.नं. 784, 785, 786 से होता है कटान का है। परन्तु आवेदक के खेत से पश्चिम की ओर इस रास्ते से खेत तक रास्ता नहीं है। जिसमें भूमि खाता सं. 252 के ख.नं. 784 रकबा 0.52 है. भूमि के खातेदार काश्तकार अनावेदक सं. 1 लगा. 16 दर्ज राजस्व रिकार्ड जबकि उक्त भूमि पर कब्जा अनावेदक सं. 1 का है जिसने आवेदक के खेत तक जाने वाले आम रास्ता को अवरूद्ध कर दिया है। आवेदक अपने खेत तक के लिए ऊंट गाड़ी, ट्रेक्टर आदि जाने के लिए कम से कम 12 फुट का आम रास्ता हो तो आवेदक अपने खेत में खेत की जुताई–बुवाई एवं फसल आदि को लाने के लिए ट्रेक्टर, ऊंट गाड़ी के रास्ते की अति आवश्यकता है परन्तु केवल पगडंडी का ही रास्ता है। जिसमें आवेदक को भारी हक तलफी हो रही है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिए आवेदकगण की ओर यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का खेत हाल जमाबंदी अनुसार खाता सं. 180 के ख.नं. 783 रकबा 2.52 है. [illegible] नक्शा में कटान के आम रास्ता से अपने खेत तक 12 फुट का [illegible] 52 है भूमि अनावेदकगण खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड [illegible] दिलाया जा[illegible] आदेश देने की कृपा करें।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर द[illegible]। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रार्थीगण जहां से अप्रार्थी के खेत में रास्ता चाहता है वहां चार दीवारी एवं मकान बने हुए हैं वहां रास्ता दिया जाना भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:11:54 IST
Reason: SelfAttested

उचित एवं संभव नहीं है। गांव से भूमि खसरा नंबर 793, 787, 788, 783, 779, 776 में होते हुए ढाणी बाढ़ तक सैंकड़ो वर्ष पुरानी पगडंडी है जो सभी काश्तकारों के लिए पर्याप्त है और यह पगडंडी बतौर सुखाधिकार प्रार्थी व अन्य खातेदारों को प्राप्त है व पर्याप्त है फिर भी यदि रास्ता चौड़ा कराया जाता है तो इसी पगडंडी को चौड़ा कराया जावे ताकि सभी काश्तकारों को लाभ हो सके। वैसे प्रार्थी को 12 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण सं. 2 से 14 सम्यक् तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, बुहाना से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, बुहाना ने जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./2021/1885 दिनांक 20.04.2021 से भू–अभिलेख निरीक्षक भैसावता खुर्द की मूल फर्द मौका रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है। भू–अभिलेख निरीक्षक भैसावता खुर्द की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा खसरा नंबर 783 में जाने के लिए खसरा नंबर 784 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 12 फुट लगभग 4 मीटर चौड़ा रास्ते का आवेदन किया है। मौके पर 784 खसरे की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे वर्तमान में कोई प्रचलित रास्ता नहीं है। 783 खसरे में जाने के लिए वर्तमान में मौके पर खसरा नंबर 778 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे प्रचलित रास्ता है जो वर्तमान में चालू है खसरा नंबर 784 के दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे बनने वाले रास्ते की लम्बाई 32 मीटर तथा चौड़ाई 4 कुल क्षेत्रफल 128 वर्गमीटर बनता है तथा खसरा नंबर 778 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे बनने वाले रास्ते की लम्बाई 32 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 128 वर्गमीटर बनता है। खसरा नंबर 784 के पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे पक्की चार दीवारी बना रखी है तथा जहां से रास्ता दर्शाया जा रहा है उसमें दो आडू के पेड़ व एक बिजली का ट्रांसफार्मर रास्ते में आ रहा है। खसरा नंबर 783 व 779 दोनों खसरे के खातेदार प्रार्थीगण व उनके भाईयों की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अतः 779 में पहुंचने के बाद प्रार्थीगण 783 में पहुंचलने के लिए अपनी स्वंय की भूमि काम में ले सकते हैं।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत भैसावता का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। भू–अ0नि0 की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। भू–अ0नि0 के मुताबिक खसरा नंबर 779, 783 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 784 व 778 में से नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित ( मार्क A से B व C से D ) प्रस्तावित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 4 मीटर चौड़ाई में 256 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थीगण के [illegible] खातेदारी भूमि ख.नं. 783 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव [illegible] ख.नं. 779 भी प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। [illegible] प्रस्तावित रास्ता ख.नं. 779 तक दिये जाने पर प्रार्थीगण ख.नं. 783 में आने–जाने के लिए उपयोग [illegible] कर सकता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रावधानों की पूर्ति करता है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:11:54 IST
Reason: SelfAttested

**आदेश**

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम घरड़ाना खुर्द तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 783 व 779 है. में जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम घरड़ाना खुर्द खसरा नंबर 784, 778 में से लाल स्याही से अंकित नजरी नक्शा मार्क A से B व C से D (प्रदर्श–अ) के अनुसार 4 मीटर चौड़ाई में पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 779 तक कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 256 वर्गमीटर भूमि की जितनी कीमत होती है उसकी दुगुनी राशि प्रार्थीगण तहसीलदार, बुहाना के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, बुहाना खसरा नंबर 778, 784 के खातेदारों को प्रतिकार की रकम नियमानुसार अदा करें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 778, 784 के रकबे में से रास्ते की भूमि निर्वापित कर रिकार्ड में राजकीय खाते में ''गै.मु.रास्ता'' के रूप में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 06–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुनील कुमार चौहान )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:11:54 IST
Reason: SelfAttested